न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील / 01 / 2025

श्रीमती पूरनदेई बेबा मंगतूराम उम्र 63 वर्ष जाति मेहतर निवासी हरीजन बस्ती, कुम्हेर गेट, थाना कोतवाली भरतपुर

....अपीलार्थी0

बनाम

1—विक्रान्त पुत्र स्व. मंगतूराम । जातियान मेहतर निवासी हरीजन बस्ती, कुम्हेर गेट,
2—श्रीमती मधु पत्नि विक्रान्त । थाना कोतवाली जिला भरतपुर

..... रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरुद्व निर्णय दिनांक 04.09.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी भरण पोषण भरतपुर प्रकरण संख्या 1/23 उनवानी मंगतूराम वगे. बनाम विक्रांन्त वगे.।

उपस्थितः—

1— श्री मनोज कुमार कौशिक, अभिभाषक अपीलान्ट,

2— रेस्पो0 अनुपस्थित

दिनांक 16.04.2025

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर आदेश दिनांक 4.9.2024 के पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 4.9.2024 में प्रार्थी0 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4,5,23,24 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण को सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिये 1000 रुपये प्रतिमाह महीने की 10 तारीख से पूर्व बैंक ऑफ इण्डिया, इनसाईड कुम्हेर गेट, भरतपुर की खाता संख्या 66401821000256 में जमा करने, प्रार्थीगण को परेशान नहीं करने, सद्भावना पूर्ण व्यवहार करने एवं उनकी सेवा सुश्रुषा का ध्यान रखने के आदेश से पाबंद किया गया है। प्रार्थीया को पांबद किया गया है कि वह अपने पुत्र व पुत्र वधु से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करेंगें।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलान्टा ने अपनी अपील में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश दिनांक 04.09.2024 को दुरस्त किया जाकर अपीलान्टा के मकान से रेस्पो0 को बेदखल करने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो. की जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलबी की गई। रजिस्टर्ड नोटिस लेने से इन्कार के साथ वापिस प्राप्त हुये जो शामिल मिसिल हैं। रेस्पो. बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर, योग्य अभिभाषक अपीलान्टा की बहस इकतरफा में सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि रेस्पो. उसके पुत्र व पुत्र बधु हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्टा ने बताया कि प्रार्थीया ने तहत न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा था कि रेस्पो. व उसके परिवारीजन गाली गलौच कर मारपीट कर डरा धमका कर प्रार्थीया के मकान से बेदखल करने एवं प्रार्थीया को जान से मारने की धमकी देने बाबत चाहे गये अनुतोष के बारे में कोई निर्णय नही दिया है। जबकि प्रार्थीया को रेस्पो. आये दिन मकान से बेदखल करने अपने नाम कराने की धमकी देते रहते हैं। तहत न्यायालय ने बिना बजह अपने आदेश में प्रार्थीया को भी पाबन्द करने का आदेश विधि विरुद्ध है जो काबिल खारिज के है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि रेस्पो. को प्रार्थीया के मकान से बेदखल करने के आदेश दिये जावे।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्टा की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.9.2024 का अध्ययन किया गया अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर गौर किया गया। तहत न्यायालय में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष, कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के मकान से खाली करवाने बाबत तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नहीं किया है। हमारे समक्ष भी योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने सिवाय मौखिक कथनों के मकान स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किये गये हैं।

अपीलान्ट ने चाहे गये अनुतोष में अपीलान्टा ने अपने मकान से रेस्पो0 को बेदखल करने बाबत निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत न्यायालय में भी रेस्पो0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। प्रार्थीया की मुख्य मांग है कि रेस्पो0 को उसके मकान से बेदखल

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

किया जावे। इस सम्बन्ध में प्रार्थीया ने अपने मकान के स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य / दस्तावेज हमारे समक्ष पेश नहीं किये गये हैं और ना ही तहत न्यायालय में पेश किये गये हैं। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। तहत न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.4.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर